न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः **18 / 2017** प्रार्थना पत्र (रसद)

राज्य सरकार जरिये प्रद्युम्नसिंह प्रवर्तन अधिकारी

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री लक्ष्मीलाल चौधरी, उचित मुल्य दुकानदार, बग्गड़, तहसील वल्लभनगर
2. श्री सुरेश पुत्र श्री सोहनलाल लखारा निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, वाहन चालक वाहन संख्या आर जे 27 जीबी 4605

...**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2001 के क्लॉज 10 के तहत जब्तशुदा 30 कट्टे मय बारदाना एवं टेम्पो संख्या आर जे 27 जीबी 4605 को राजसात कराने बाबत्

उपस्थितः	1. श्री विजय सिंह राठौड़, प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार 2. श्री सुखराम डिडेल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2

निर्णय

दिनांक : 31.10.2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी शहर द्वारा एक प्रार्थना पत्र 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी प्रथम उदयपुर के आदेश क्रमांक 339 दिनांक 12.09.17 के क्रम में उचित मुल्य की दुकान बग्गड़ पहूॅचकर पुलिस की मौजुदगी में सेन्टर की जॉच की गई। दिनांक 09.09.17 को उचित मुल्य की दुकान बग्गड़ के राशन डीलर लक्ष्मीलाल चौधरी की स्वीकृति से उक्त दुकान से गेहूॅ के भरे हुए 30 कट्टे (प्रत्येक कट्टा औसत 50 किलोग्राम वजन का) मशीन सिलाई युक्त एवं सरकारी गेहूॅ के मार्कासहित लोडिंग टाटा टेम्पो संख्या आर

जे 27 जीबी 4605 में लोड कर राशन डीलर के पुत्र राजु चौधरी एवं एक अन्य व्यक्ति कन्हैयालाल रावत लाभचन्द नामक हम्माल की मदद से अन्यत्र डायवर्जन करने की नियत से परिवहन करते समय सेन्टर की दुकान से आधा किलोमीटर खेरोदा के पास ही पुलिस द्वारा रोका जाकर दुकान पर चिट चस्पा कर दिया गया। मौके पर लक्ष्मीलाल चौधरी बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने पर मौतबिरानो मय पुलिस की मौजुदगी में श्री चौधरी के पुत्र पुरणमल चौधरी के पास में उपलब्ध चाबी से गोदाम का सत्यापन किया गया। उचित मुल्य की दुकान बग्गड़ में स्टॉक का पीओएस मशीन से मिलान करने पर बराबर आया। गेहूॅ का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े जाने एवं जॉच में असहयोग करने से प्रथम दृष्ट्या उचित मुल्य दुकानदार बग्गड़ द्वारा अवैध तरीके से गेहूॅ को बचाकर लक्षित उपभोक्ताओ को वितरीत नहीं कर 15 क्विंटल गेहूॅ को अनुचित लाभ लेने की गरज से अन्यत्र डायवर्जन करने की नियत से अवैध रूप से परिवहन करने का कृत्य किया गया हैं। जिस कारण डिलर श्री लक्ष्मीलाल चौधरी उचित मुल्य दुकानदार बग्गड़ तहसील वल्लभनगर का कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 9, 10, 11 एवं 17 सी के विरूद्ध है, जो इसी आदेश के खण्ड 6 एवं 20 का भी उल्लंघन हैं। साथ ही डीलर का उक्त कृत्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के क्लॉज 10(1), 10(4)(v), 10(4)(vii) तथा 11(3) का भी उल्लंघन हैं। अतः जब्तशुदा 30 कट्टे गेहूॅ मय बारदान एवं टेम्पो संख्या आर जे 27 जीबी 4605 को राजसात कराने का श्रम करावें। साथ ही निवेदन है कि गेहूॅ शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है जिसका शीघ्र निस्तारण करवाने का श्रम करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा

उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 उचित मुल्य की दुकान बग्गड़ का डिलर हैं। उसके साथ में दुकान भटेवर ए की वैकल्पिक व्यवस्था भी दिनांक 07.03.17 से दी गई हैं। गेहूॅ ट्रांसपोर्टर द्वारा डिलर की गैर मौजुदगी में 30 कट्टे (15 क्विंटल) भटेवर ए सेन्टर के बग्गड़ सेन्टर पर खाली कर दिये गये थे। मौके पर उसका पुत्र राजु था जिसे गेहूॅ की मात्रा का ज्ञान नहीं था। इसलिये बग्गड़ से ज्यादा उतारे गये 30 कट्टे (15 क्विंटल) टेम्पो संख्या आर जे 27 जीबी 4605 से ले जा रहे थे। शिकायतकर्ताओ के बहकावे में आकर बिना जॉच के ही टेम्पो व गेहूॅ जब्त कर लिये। जबकि जॉच में गेहूॅ का स्टॉक बराबर मिला। पुलिस थाने में टेम्पो स्वामि विपक्षी संख्या 2 द्वारा वस्तुस्थिति बतायी गई थी। सारे कट्टे सिलाई द्वारा सीले हुए थे। वजन भी सभी का बराबर था। विपक्षीगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया हैं। नाही कोई अपराध करने की मंशा ही थी। द्वेषतावश जबरन रोककर पुलिस के माध्यम से टेम्पो जब्त करवाया जो अवैध व अनुचित हैं। विपक्षी द्वारा लाईसेन्स की शर्त संख्या 2, 5, 9, 10, 11 एवं 17 सी तथा खण्ड 6 (20) की अवहेलना नहीं की है नाही पीडीएस 2015 के किसी भी क्लॉज या खण्ड की अवहेलना की हैं। जब्त टेंपो 200 रूपये किराये पर खेरोदा की दुकान से भटेवर हेतु तय किया गया था। विपक्षी संख्या 2 का जब्त वाहन उसके रोजगार व्यवसाय का एकमात्र साधन हैं। टेम्पो के अभाव में विपक्षी को काफी आर्थिक कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा हैं। अतः 6ए के प्रार्थना पत्र को खारीज फरमाते हुए विपक्षी संख्या 1 के जब्तशुदा 30 कट्टे (15 क्विंटल) गेहूॅ तथा विपक्षी संख्या 2 के टेम्पो संख्या आर जे 27 जीबी 4605 को रिलीज कर विपक्षीगणो को सिपुर्द करने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन

किया कि लगभग 9.45 पीएम पर उचित मुल्य की दुकान बग्गड़ से टेम्पो संख्या आर जे 27 जीबी 4605 में 30 कट्टे (15 क्विंटल) गेहूॅ के भरकर उचित मुल्य दुकानदार का पुत्र राजु चौधरी हेम्माल कन्हैयालाल रावत एवं लाभचन्द द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु गेहूॅ की कालाबाजारी की नियत से अन्यत्र डायवर्जन करने हेतु गेहूॅ को ले जाते हुए सेन्टर से आधा किलोमीटर दुरी पर उदयलाल माली व राधेश्याम चौबीसा द्वारा गेहूॅ को पकड़ कर पुलिस थाना खेरोदा में सिपुर्द कर दिया। गेहूॅ को आटे की फैक्ट्री पर ले जाना जॉच में पाया गया। परन्तु फैक्ट्री का नाम नहीं बताया गया। विपक्षी द्वारा अपने बचाव में मनगढंत जवाब प्रस्तुत किया गया है कि गेहूॅ को सेन्टर भटेवर ए पर ले जाया जा रहा था तो रात्रि 10 बजे ले जाने की कहा आवश्यकता थी। यह सारी बाते अपने बचाव में झुठी व मनगढंत कही गई हैं। यदि थोक विक्रेता द्वारा सेन्टर भटेवर ए का गेहूॅ 30 कट्टे सेन्टर बग्गड़ पर उतार दिये जाते तो ट्रांसपोर्टर द्वारा 30 कट्टे की प्राप्ति अधिक क्यो नहीं ली गई जबकि ट्रांसपोर्टर द्वारा उतनी ही रसीद प्राप्त की जितनी उसके द्वारा सेन्टर बग्गड़ पर गेहूॅ उतारे थे। भटेवर सेन्टर की भी रसीद उतने ही गेहूॅ की प्राप्त की जितने का बिल था। विपक्षी का सारा जवाब झुठा हैं। विपक्षी संख्या 1 को बार बार बुलाने पर भी जॉच में असहयोग करते हुए निरंतर अनुपस्थित रहा। उसके द्वारा किसी प्रकार का जॉच कार्य में सहयोग नहीं किया गया। मात्र गेहूॅ का अनुचित लाभ लेने की गरज से अन्यत्र डायवर्जन करने की नियत से अवैध रूप से परिवहन करने का कृत्य किया गया हैं। पुछताछ में सुरेश पिता सोहनलाल जी लखारा द्वारा भी इसकी ताईद की गई हैं। राधेश्याम द्वारा भी इसकी ताईद की गई है एवं उदयलाल माली द्वारा भी इसकी ताईद की गई हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कही पर भी नहीं बताया गया कि गेहूॅ ट्रांसपोर्टर द्वारा किस बिल के विरूद्ध सेन्टर पर गेहूॅ पहुॅचाये गये एवं किस

दिनांक को गेहूँ अधिक उतार दिया गया। साथही किसी भी सेन्टर के बिलो की प्रतियॉ अपने जवाब की ताईद में प्रस्तुत नहीं की गई। यदि सही काम होता तो रात्रि 10 बजे गुपचुप तरीके से गेहूँ का डायवर्शन डिलर द्वारा नहीं किया जाता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6ए स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा गेहूँ को राजसात कराना फरमावें एवं जब्त टेम्पो को बैंक गारन्टी पर विपक्षी संख्या 2 को लौटाये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 लक्ष्मीलाल चौधरी उचित मुल्य दुकान बग्गड़ का वैध प्राधिकारपत्रधारी होकर जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 07.03.17 से उचित मुल्य दुकान भटेवर ए की भी वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की गई हैं। गेहूँ ट्रांसपोर्टर द्वारा डीलर की गैर मौजुदगी में अधिक खाली कर दिये तथा वैकल्पिक व्यवस्था भटेवर ए पर 30 कट्टे (15 क्विंटल) गेहूँ कम उतारे गये थे जिसे डिलर द्वारा पुनः जब्त टेम्पा से पहूँचाया जा रहा था। कि लोगो द्वारा द्वेषतापुर्ण शिकायत कर टेम्पो पुलिस को सिपुर्द कर दिया। जबकि प्रवर्तन अधिकारी उदयपुर द्वारा पुलिस की मौजुदगी में उचित मुल्य की दुकान बग्गड़ का भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक के मुकाबले गेहूँ बराबर मात्रा में मिला। गेहूँ में किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6ए का खारीज फरमाते हुए जब्त टेम्पो व गेहूँ विपक्षीगणो को सिपुर्द किया जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हम विपक्षी के कथनो से सहमत नहीं है कि उसके पास में दो उचित मुल्य दुकानो का कार्य होने से उचित मुल्य की दुकान भटेवर ए का 15 क्विंटल गेहूँ बग्गड़ सेन्टर पर उतार दिया गया। जो वह पुनः लोडिंग टेम्पो से पहूँचाया जा रहा था। यदि ऐसा था तो गेहूँ रात्रि 10 बजे परिवहन करने की क्या आवश्यकता थी। अपने जवाब की ताईद में

ट्रांसपोर्टर द्वारा जो गेहूॅ सेन्टर पर खाली किया गया उसकी डिलर द्वारा दी गई प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं की गई। यह गेहूॅ किस बिल से कितना कितना किस किस सेन्टर पर आया इसके संबंध में भी बिलो की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत नहीं की गई। डिलर द्वारा प्रवर्तन अधिकारी को जॉच में भी सहयोग नहीं किया गया। जिससे प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट जाहीर होता है कि डिलर श्री लक्ष्मीलाल चौधरी द्वारा 15 क्विंटल गेहूॅ को अनुचित लाभ लेने की गरज से अन्यत्र डायवर्जन करने की नियत से अवैध रूप से परिवहन करने का कृत्य किया गया हैं। सेन्टर पर अपने हिसाब से अभिलेखो की पूर्ति स्टॉक के मुकाबले पूर्ण कर ली गई। विपक्षी का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 9, 10, 11 एवं 17 सी के विरूद्ध है, जो इसी आदेश के खण्ड 6 एवं 20 का भी उल्लंघन हैं। साथ ही डीलर का उक्त कृत्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के क्लॉज 10(1), 10(4)(v), 10(4)(vii) तथा 11(3) का भी उल्लंघन हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्वीकार किया जाकर जब्त गेहूॅ 30 कट्टे (15 क्विंटल) मय बारदान एवं टेम्पो संख्या आर जे 27 जीबी 4605 को राज्यसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जब्त वाहन संबंधी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(1)(सी) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार वाहन की बाजार कीमत वाहन मालिक को जमा करवाने का प्रावधान होने से यदि वाहन स्वामि द्वारा जब्त वाहन के बदले 50,000/– रूपये की बैंक गारन्टी एवं इतनी ही राशि के जमानत मुचलके प्रस्तुत किये जाते है तो जब्त वाहन उसके पंजीकृत वाहन मालिक को बैंक गारन्टी एवं उसके निजी मुचलके के आधार पर सिपुर्द किया जावें। अन्यथा वाहन का

नियमानुसार निस्तारण किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करायी जावें।

आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम) उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि गेहूँ का वितरण वैध उपभोक्ताओ में पीओएस मशीन से वितरीत करवा प्राप्त राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर